eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

भारत मे ट्रान्सजेन्डर के सामाजिक एवं कानूनी अधिकार

[1]डॉ सर्वेश कुमार
[1]सहायक आचार्य, सरस्वती बी0एड0 महाविद्यालय कानपुर

Abstract

समाज में व्यक्ति का जन्म लेना एक जैविक आवश्यकता है। समाज मे मुख्यतः दो प्रकार के लिंग जन्म लेते है किन्तु कभी–कभी कोई व्यक्ति न तो स्त्री न ही पुरूष की श्रेणी मे जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति को समाज ट्रान्सजेंडर के रूप में मान्यता देता है। ट्रान्सजेंडर का लिंग जन्म के समय के नियत लिंग से मेल नही खाता है। वैसे तो ट्रान्सजेंडर को समाज में सम्मान की दृश्टि से नही देखा जाता है। फिर भी समाज में इनका अलग स्थान है। समाज इनको एक शुभ प्रतीक के रूप मे मानता है। समाज के साथ–साथ कानूनी रूप से ट्रान्सजेंडर को पूरे अधिकार प्रदान किये गये है। ट्रान्सजेंडरों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। सांसद ने इनके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव न करने के लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित किये है जैसे–शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्थल पर उपलब्ध उत्पादों तक पहुॅच कही भी आने–जाने का अधिकार, सम्पत्ति हासिल करने का अधिकार हैं। फिर भी कुछ निजी क्षेत्रों मे भेदभाव भी देखने को मिलते है जैसे–पहचान का मुद्दा, सामाजिक समस्याऍ, बेरोजगारी, आवास की समस्या अन्य अधिकारों का उल्लंघन, सामाजिक कलंक है। ट्रान्सजेंडर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके कानूनी अधिकार प्रदान करने मे एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रान्सजेंडर कानूनी रूप से अन्य जेंडर के समान अधिकार है। कानून के सामने समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण की गारंटी सविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अन्तर्गत की गयी है। किसी को लिंग चुनने का अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अर्न्तगत है, ट्रान्सजेंडर को भी समाज मे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और समाज मे एक सम्मानित नागरिक के रूप मे कार्य कर रहे है। वर्तमान समय मे ट्रान्सजेंडर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रशासनिक क्षेत्र मे पर्याप्त भागीदारी है। अन्ततः व्यतीत करने के लिए अग्रसर है।

शब्द बीज– भारत मे ट्रान्सजेन्डर, सामाजिक अधिकार, कानूनी अधिकार, न्याय।

Introduction

ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति वे लोग होते है जिनकी पहचान रूढ़िवादी लिंग मानदंडो से भिन्न होती है, जो केवल पुरूष या महिला के रूप लिंग की पहचान करते है। समाज उनकी लिंग पहचान को स्वीकार करने विफल रहा है। जिसके कारण उन्हें भेदभाव, सामाजिक उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है।

ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति:– ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति वह व्यक्ति है, जिनका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नही खाता। इसमें सामाजिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे किन्नर आदि है, ये लोग महिला या पुरूष शरीर संरचना से अलग महसूस करते है। ये अपने को सामान्य महिला या पुरूष किसी भी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

पहनावे को पसन्द करते है। भारत में ट्रान्सजेन्डर की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें हिजड़ा, अरवानी, कोठी, जोगता, शिवशक्ति शामिल है।

ट्रान्सजेन्डर की समस्याएँ– भारत में ट्रान्सजेन्डर समुदाय को होने वाली समस्याएँ जैसे रोजगार, शैक्षिक सुविधाए, आवास, चिकित्सा सुविधा आदि होने वाले भेदभाव है।

सामाजिक समस्याएँ– ये समुदाय सम्पत्ति की विरासत या बच्चों के गोद लेने के सम्बन्ध मे उपेक्षित करता है। उन्हें अक्सर सामाजिक बहिष्कार के रूप मे परिधि से बाहर कर दिया जाता है। इनकी समाज में कभी–कभी इन्हें अनैतिक कार्य भी करने पड़ते है।

बेरोजगारी– ट्रान्सजेन्डर के पास रोजगार के अवसर सीमित है। ट्रान्सजेन्डरों की सार्वजनिक स्थानों तक कोई पहुॅच नही है।

आवास की समस्या– बहुत से परिवार यह स्वीकार नही करते है कि उनका बच्चा खुद को स्त्री माने या वैसा व्यवहार करना शुरु कर दे। इसलिए कुछ परिवार ऐसे बच्चों को घर से निकाल देते हे। जिससे उन्हें आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक कलंक– ट्रांसजेन्डर को कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए दूसरों की तुलना में कम अवसर मिलते है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वीकार नहीं किया जाता है। वे स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं करते है।

ट्रांसजेंडर के अधिकार– संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को न्याय का अधिकार दिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में न्याय का अधिकार दिया गया है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्थल पर उपलब्ध उत्पादों तक पहुॅच, कही भी आने–जाने का अधिकार, सम्पत्ति हासिल करने का अधिकार प्रदान किया गया हे। चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइंविग लाइसेंस और राशन कार्ड में तीसरी श्रेणी शामिल है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019– भारतीय सांसद ने 2019 में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से सम्बन्धित विधेयक 2019 पारित किया जिसमें कुछ प्रावधान इस प्रकार हैः–

- किसी भी शिक्षण संस्थान, रोजगार, स्वास्थ सेवाओं आदि में ट्रांसजेंडरों के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- ट्रांसजेडर के पहचान को मान्यता और उन्हें स्वयं के कथित लिंग की पहचान का अधिकार प्रदान किया जायेगा।
- माता–पिता और परिवार के सदस्यों के साथ रहने का प्रावधान प्रदान करना।
- ट्रांसजेंडर के लिए शिक्षा, सामाजिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रम बनाने का प्रावधान।
- ट्रांसजेंडर के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें सलाह देने, उनकी देखभाल एवं मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रावधान करना

ट्रांसजेंडर के हित में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय– भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ व अन्य में पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग को मान्यता दी।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Special Issue 02, September 2023

माननीय सुप्रीम कोर्ट, पुरुश व महिला की दोहरी लैंगिक संरचना की सामाजिक मान्यता को ही समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एक मानवाधिकार मुद्दा माना है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण की गारण्टी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अन्तर्गत दी गयी है। किसी की लिंग पहचान को चुनने का अधिकार गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए एक आवष्यक हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निहित प्रतिबंधों के अधीन किसी की व्यक्तिगत उपस्थिति या उसके चयन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है। लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव अनुच्छेद 14, 15, 16 व 21 का उल्लंघन है। मानव अधिकार मूल अधिकार और स्वतंत्रता है जो एक मानव होने के कारण उन्हें गारण्टी दी जाती है, जिसे किसी भी सरकार द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही निरस्त किया जा सकता है, इसमें जीवन का अधिकार, स्वंतत्रता, समानता, गरिमा और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

ट्रांसजेंडर के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयास– भारत सरकार के ''सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और गरिमा गृह की शुरुआत की।

राष्ट्रीय पोर्टल – राष्ट्रीय पोर्टल ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के अन्तर्गत बनाया गया है। ये पोर्टल देश में कही भी किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रुप से आवेदन करने में मदद करेगा। यह पोर्टल उन्हें आवेदन अस्वीकृति, शिकायत निवारण आदि की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करेगा, जो प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

गरिमा गृह – गरिमा गृह से आशय ट्रांसजेंडर के लिए आश्रय स्थल से है। सर्वप्रथम गरिमागृह की शुरुआत गुजरात के वड़ोदरा में हुई, यह लक्ष्य ट्रस्ट के सहयोग से चलाया जायेगा, जो पूरी तरह से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन है। आश्रय स्थल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना है, जिसमें भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुनिधाएँ है।

सुझााव – सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद ट्रांसजेंडरों के अधिकारों और संरक्षण में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुतायत रुप में देखने को मिल रहा है, उन्हें उनकें अधिकारों को प्रदान करने में सहयोग किया जाय।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाये गये नियमों को गम्भीरता से धरातल पर लागू किया जाये।
- ट्रांसजेंडरों को समाज में गरिमामय जीवन जीने के लिए उचित स्थान दिलाने के समुचित प्रयास किये जाये।

संदर्भ – जेण्डर, स्कूल तथा समाज, **आर.लाल बुक डिपो–मेरठ,** शिक्षा का विश्वकोश